

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आइ0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदयजी, पार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार लॉर्ड मरहता पटवारी परिवार 1917 का
के आधार पर शंभुराम उ. बक्सराम के बजाय शिवराम उ. बक्सराम किया जाना उचित है

[Signature]
कायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

[Signature]
8/12/21
2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/संगित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त किम जाण
उचित है

[Signature]
8/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंसुनु (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट में आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2.	दापेली	2075-78	623 624	शंभुराम उ. बक्सराम	शिवराम उ. बक्सराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 8/12/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2120

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारसो पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाथ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

